



उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०

14 - अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ - 226001

U.P. RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD.

14- ASHOK MARG, SHAKTI BHAWAN, LUCKNOW-226001

पत्र सं०: 2122-मा० सं०-03/उ०नि०लि०/2014-9(9) मा० सं०-03/2009

दिनांक: 26.08.2014

“कार्यालय ज्ञाप”

उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० के आदेश संख्या: 4940-मा० सं०-03/उ०नि०लि०/2009-9(9) मा० सं०-03/2009 दिनांक: 31.12.2009, तथा आदेश संख्या: 1317-मा० सं०-03/उ०नि०लि०/2013-9(9) मा० सं०-03/2009 दिनांक: 22.05.2013, संपठित आदेश संख्या: 1508-मा० सं०-03/उ०नि०लि०/2013-9(9) मा० सं०-03/2009 दिनांक: 07.06.2013 के अनुक्रम में ओबरा तथा हरदुआगंज ताप विद्युत गृह में फायरमैन के पद से संविलीन अटेन्डेन्ट ग्रेड-1/पम्प अटेन्डेन्ट को समयबद्ध वेतनमान की अनुमन्यता हेतु संविलियन से पूर्व फायरमैन के पद पर की गयी सेवाओं को सम्मिलित किये जाने का अनुमोदन एतद्वारा प्रदान किया जाता है।

2. उपर्युक्त अनुमोदन इस प्रतिबन्ध के साथ प्रभावी होगा कि फायरमैन के पद से संविलीन इन अटेन्डेन्ट ग्रेड-1/पम्प अटेन्डेन्ट को पूर्ववर्ती परिषदादेश संख्या: 565-पी./राविप-30-4पी/1986, दिनांक: 20.03.1989 के बिन्दु संख्या 03 में निहित प्राविधानान्तर्गत समयबद्ध वेतनमान की अनुमन्यता हेतु संविलीन से पूर्व फायरमैन के पद पर की गयी सेवाओं को जोड़े जाने पर वेतन निर्धारण के फलस्वरूप उन्हें इस सम्बन्ध में वेतन निर्धारण का लाभ तो अनुमन्य होगा परन्तु दिनांक: 08.08.2014 से पूर्व यदि कोई अवशेष (Arrear) परिलक्षित होता है तो उसका भुगतान नहीं किया जायेगा।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

पत्र सं०: 2122-मा० सं०-03/उ०नि०लि०/2014 तददिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- फैक्स →
1. निदेशक, (तकनीकी)/(वित्त)/(कार्मिक), उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ के निजी सचिव।
 2. मुख्य अभियन्ता, ओबरा, /हरदुआगंज ताप विद्युत गृह, उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, ओबरा (सोनभद्र)/कासिमपुर (अलीगढ़)।
 3. कम्पनी सचिव, उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को निदेशक मण्डल की दिनांक: 08.08.2014 को सम्पन्न 159वीं बैठक में एजेंडा सं० 40 पर लिये गये निर्णय के सम्बन्ध में।
 4. कार्यकारी मुख्य अभियन्ता (मा० सं०), उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
 5. अधीक्षण अभियन्ता (प्रगति), उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
 6. उपमहाप्रबन्धक/अधीक्षण अभियन्ता, (मा० सं०-02/03), उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
 7. उप मुख्य लेखाधिकारी ओबरा/हरदुआगंज ताप विद्युत गृह, उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, ओबरा (सोनभद्र)/कासिमपुर (अलीगढ़)।
 8. कट फाईल।

आज्ञा से,



(मो० इसलाम)

अनुसचिव (मा० सं०-03)